कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर 482008 (म.प्र.)

Email: pri.ayurvedajbp @gmail.com

Office - 0761-2970733,

आवेदन पत्र

प्रति,

प्रधानाचार्य,

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय

एवं चिकित्सालय,ग्वारीघाट, जबलपुर, मप्र

विषयः- केण्टीन संचालन हेतु दिनांक ...../...../2022 को समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा अनुसार आवेदन

मैं..पिता का नाम...
..................उम्र..................फर्म का नाम एवं पता...
जी.एस.टी. कमांक...आयकर हेतु पेन नंबर..है।

इस आवेदन के साथ प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ग्वारीघाट, जबलपुर, मप्र के पक्ष में बैंकर्स डी.डी.कं..............................दिनांक.................
............बैंक (जारी बैंक का नाम)...राशि.......................................
............प्रस्तुत कर रहा हूं।

इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार केण्टीन किराया तथा समस्त सामग्रियों के नाम के सामने रेट दर्ज है तथा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर

(निविदा आमंत्रण सूचना)

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर में छात्रों/मरीजो एवं अन्य के लिए केण्टीन संचालन करने हेतु व्यक्तिगत/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि से महाविद्यालय के नियम एवं शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की बेवसाईट www.gac.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत 1000/ रू. (डी.डी. के रूप में प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के नाम देय होगा) भुगतान करना आवश्यक होगा अथवा निविदा प्रपत्र महाविद्यालय से कार्यालीन समय में नगद 1000/– राशि जमा करके प्राप्त किया जा सकता है निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 13/12/2022 सायं 05:00 बजे तक।

::निविदा की शर्तें::

1– निविदा सीलबंद लिफाफा जिस पर केण्टीन संचालन के लिये निविदा लिखा होना आवश्यक है।

2– निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे भाग 01 में निविदा प्रपत्र, फार्म की राशि की रसीद/डीडी, अमानत राशि की रसीद/डीडी, पेन नंबर, जी.एसटी. नं अनुभव प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, टर्नओवर प्रमाण पत्र इत्यादि तथा दूसरा लिफाफा भाग 02 में केवल वित्तीय प्रस्ताव देना होगा। दोनो लिफाफा भाग–1 एवं भाग–2 सील बंद कर एक बडे लिफाफे में रख कर ज़मा करना होगा। नियत तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा पर ही विचार किया जायेगा।

3– निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग–01 के अनुरूप होगा, तकनीकी प्रस्ताव में अस्वीकृत होने की दशा में संबंधित निविदाकार का वित्तीय लिफाफा भाग–02 नही खोला जाऐगा। निविदाकार का चयन तकनीकी प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद केण्टीन किराये की राशि (H-1) के आधार पर किया जाऐगा। उस निविदाकार (H-1) को केण्टीन हेतु भोजन एवं स्वल्पाहार के प्राप्त न्यूनतम दर (L-1) को मान्य करना होगा, अन्यथा यह अवसर क्रमशः दूसरे निविदाकार को दिया जायेगा।

4– प्रत्येक निविदा के तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे के साथ अमानत की राशि 2,00,000/ (दो लाख) रू. एवं निविदा फार्म की राशि 1000/ रू. (अंकन एक हजार रू. मात्र) नगद या डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर के पक्ष में जमा की जाना आवश्यक है। बिना अमानत राशि एवं निविदा फार्म राशि की डी.डी. प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

5- निविदा नियत तिथि 12/12/2022 को समय 05:00 तक बजें अपरान्ह से पूर्व निविदा फार्म प्राप्त करना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि को छोडकर शेष निविदाकारों की मूल राशि बिना व्याज के वापिस की जावेगी।

6- प्रथम सफल निविदाकार द्वारा यदि प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थिति मे सफल निविदाकार जो द्वितीय स्थान पर होगा, को निविदा समिति द्वारा निर्धारित एल-1, दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जाएगा तथा यह कार्य सफल निविदाकार के स्वीकृत दर पर अन्य वेडर को भी कार्य दिया जा सकता है।

7- निविदाकर्ता को उल्लेखित सभी खाद्य सामग्री/कार्यो हेंतु दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा वित्तीय निविदा में उल्लेखित समस्त सामग्रियो/कार्यो हेंतु दर प्रस्तुत न करने, निरंक अथवा शून्य दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की निविदा अयोग्य मान्य की जावेगी।

8- सफल निविदाकार को 500/- रू. के नॉनज्यूडिशयल स्टाम्प पर एक लिखित इकरारनामा देना होगा जिसका नमूना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुये अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि या राजस्व वसूली के रूप में की जा सकेगी।

9- किसी भी निविदा मान्य/अमान्य करने अथवा किसी भी परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर को होगा। इसके लिये किसी भी निविदाकार को कोई कारण बताया जाना आवश्यक नही होगा।

10- भारत शासन/म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. आपके दिये गये दर में सम्मिलित रहेगा। विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की मूल सूची प्रदर्शित करनी होगी उसी के अनुसार विक्रय करना होगा।

11- निविदादाता का विगत 03 वर्ष का टर्नओवर 20 लाख या प्रत्येक वार्षिक टर्नओवर 7 लाख से कम नही होना चाहिए। विगत 03 वर्षो का टर्नओवर प्रमाणपत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।

12- निविदाकार को केण्टीन संचालन कार्य का किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्थानीय निकाय/ प्राइवेट में कार्य करने का अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र/कायदेश संलग्न करना होगा।

13- निविदाकार को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14- भोजन एवं स्वल्पाहार में प्रयुक्त होने वाली सामग्री गुणवत्ताविहीन होने, खराब होने, खाद्य मापदण्डो के विपरीत होने अथवा सामग्री ताजा न होने की स्थिति की शिकायत पाये जाने पर निविदाकार पूर्ण से जिम्मेदार होगा एवं महाविद्यालय प्रशासन जबलपुर नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

15- निविदाकार को भोजन/स्वल्पाहार निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, फर्नीचर आदि व्यवस्था स्वयं करनी होगी। निविदाकार अमानक प्लास्टिक/शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नही करेगा।

16- अमानत राशि को पूर्ण या आशिंक रूप से निम्नलिखित मामलों में जप्त कर लिया जावेगा।

1- जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

2-जब निविदाकार भोजन/स्वल्पाहार की पूर्ति/सर्विस संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3- अमानत राशि को जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया गया हो। इस संबंध में प्रधानाचार्य, शासकीय स्व. आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

17- निविदाकार के फर्म/संस्था के नाम जी.एस.टी./आवश्यक रूप से लिखा जावे। बिना जी.एस.टी. क्रमांक के निविदा पर विचार नही किया जावेगा तथा उनकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18- निविदा में आयकर का नंबर दर्शाया जाना आवश्यक है तथा उनकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

19- निविदा प्रस्तुत करने पर माना जावेगा कि निविदाकार को सभी उपरोक्त शर्ते स्वीकार है।

20- निविदा स्वीकार होने पर कायदिश के अनुसार कार्य न करने पर संबंधित संस्था/व्यक्ति पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।

21- यह निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 01 वर्ष तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी। यदि सेवा संतोषजनक है तो 10 प्रतिशत किराये की राशि की वृद्धि करते हुये यह अवधि 03 वर्ष तक के लिये बढाई जा सकेगी।

22- कैन्टीन पूरी तरह कन्ट्रेक्ट की शर्तों पर संचालित होगी। कैन्टीन किसी अन्य को हस्तांतरित नही की जावेगी और न ही उसका कोई भाग उप किरायेदारी आदि पर दे पायेगा।

23- निविदाकर्ता के द्वारा कैन्टीन का विधि अनुसार संबंधित नगर निगम जबलपुर से स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा साथ ही संबंधित किसी भी सरकारी अथवा अन्य संस्था से लाइसेंस अथवा अनुमति लेने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान स्वयं करेगा।

24- कैन्टीन हेतु विद्युत व्यवस्था के लिये म.प्र.रा.वि.मं. के नियमानुसार कमर्शियल मीटर/सबमीटर लगवाना अनिवार्य होगा तथा प्रचलित दर पर समस्त देयकों का भुगतान फर्म द्वारा किया जावेगा।

25- कैन्टीन अधिपत्य के समय 03 माह का अग्रिम किराया जमा करना होगा तथा मासिक किराया प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा। (चेक/डीडी/नकद लेखाकक्ष में जमा करना होगा।) किराया समय सीमा में जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार बिरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

26- खाद्य एवं पेय पदार्थो के बनाने अथवा स्टोर आदि करने के बर्तनों के उपयोग में नगर निगम के नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। धूम्रपान, गुट्का, मद्य आदि नशीले पदार्थ रखना एवं बेचना वर्जित रहेगा।

27- खाद्य आपूर्ति विभाग एवं नगर पालिक निगम जबलपुर के द्वारा निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। कैन्टीन/दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। निरीक्षण दौरान किसी भी अनियमितता के लिए कान्ट्रेक्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

28- केन्टीन में उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्री गुणवत्ता, वजन एवं पौष्टिकता पूर्ण होना आवश्यक है।

29- निविदाकर्ता अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामग्रियों की सूची मे नही है और वह विक्रय करना चाहता है तो वह खाद्य सामग्री का मूल्य प्रधानाचार्य/समिति के द्वारा अनुमोदन कराने के बाद ही विक्रय कर सकेगा।

30- कैन्टीन कार्यालयीन दिवसों के समय अनुसार आवश्यकतानुसार खोली जावेगीं । सामान्यतः कैन्टीन खुलने का समय प्रातः07:00 बजे से रात्रि 08:00 तक का होगा।

31- कैन्टीन मे कार्यरत कर्मचारियों को कोई संक्रामक बीमारी नही है इसकी डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट हर वर्ष कार्यालय में जमा करनी होगी। कैन्टीन में आवश्यकता अनुसार कर्मचारी होना जरूरी है। सभी कर्मचारी वयस्क होना चाहिए। कैन्टीन में कार्यरत् कर्मचारियों को यूनीफार्म एवं बैच पहनना जरूरी हैं जो ठेकेदार उपलब्ध करायेगा।

32- कैन्टीन के संचालन के लिये मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेंगा तथा इस रख रखाव के हुये व्यय का वहन भी निविदाकार का ही होगा।

33- कैन्टीन संचालन समिति/प्रधानाचार्य या अन्य कोई वरिष्ठ किसी भी समय कैन्टीन का निरीक्षण कर सकते है। ठेकेदार उनके निरीक्षण के लिए हर प्रकार की सुविधा की जानकारी उपलब्ध करायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमित्ता के लिए कान्ट्रेक्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

34- कैन्टीन ठेकेदार/प्रधानाचार्य दोनो में से कोई भी पक्ष किसी भी समय एक माह पूर्व लिखित में सूचना देकर करार को रद्द कर सकता है।

35- नवनिर्मित कैन्टीन भवन में पूर्व से उपलब्ध खिड़कियां, उनके कांच, ट्यूब लाईट, एल.ई.डी., पंखे, वाटर कूलर, आर.ओ. सहित सभी समान का रख रखाव तथा कान्ट्रेक्ट खत्म होने पर चालू (Working) हालत में पूर्व दी गई अवस्था में वापिस करने होगे।

36- केन्टीन में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों अथवा भवन का दुरूपयोग नही होना चाहिए।

37- केन्टीन का न्यूनतम किराया (सिलिंग दर) रू. 10,000/- प्रतिमाह है, इससे अधिक राशि का प्रस्ताव देने वाले निविदाकार (H-1) का चयन किया जायेगा।

38- आवश्यकतानुसार किस भी समय निविदा की शर्तो में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार प्रधानाचार्य को होगा जिसे निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य होगा।

39- किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय प्रधानाचार्य, शासकीय स्व. आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर का होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र जिला जबलपुर का होगा।

प्र.प्रधानाचार्य

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय जबलपुर, म.प्र.

भाग–1

प्रपत्र

निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा (तकनीकी प्रस्ताव)

निविदादाता द्वारा भरा जावेगा।

1– निविदाकार का नाम एवं पताः– ....

....

....

2– निविदाकार/संस्था/सोसायटीः– ....

(संगठन/साझेदारी की संख्या)

3– अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें :– ....

4– विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्नः– ....

5– पैन नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):– ....

6– जीएसटी नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):– ....

7– आधार कार्डः– ....

8– भारतीय खाद्य निगम का लाइसेंसः– ....

9– धरोहर राशि का विवरण बैंक/पोस्ट (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुर के नाम देवें)

बैंक ड्राफटः– ....

बैंक का नामः– ....

दिनांकः– ....

राशिः– ....

10– फॉर्म की राशि का विवरण बैंक/पोस्ट (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुर के नाम देवें)

बैंक ड्राफटः– ....

बैंक का नामः– ....

दिनांकः– ....

राशिः– ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

भाग–02
वित्तीय प्रस्ताव
केण्टीन किराया एवं विक्रय सामग्री का विवरण

भवन	न्यूनतम किराया (प्रति माह)	निविदाकार द्वारा प्रस्तावित राषि
केण्टीन	10,000 रू.	

स.क्र.	भोज्य सामग्री	नाम सहित विवरण	मात्रा सहित विवरण	निर्धारित दर	प्रदाय दर
1	भोजन थाली	दाल,चांवल, सब्जी, 4 रोटी	सामान्य मात्रा	40	
2	नाश्ता	पोहा	100 ग्राम	10	
		जलेबी	100 ग्राम	15	
		समोसा	70 ग्राम	07	
		कचौरी	70 ग्राम	07	
		खमण	100 ग्राम	20	
		भजिया/मंगोडे	100 ग्राम	15	
		ब्रेड पकोड़ा	100 ग्राम	10	
3	पेय	चाय	150 एमएल	07	
		कॉफी	150 एमएल	10	

<u>नोटः–</u>

1– उपरोक्त दर में जी.एस.टी. दर सम्मिलित होगा।

2– भोजन एवं नाश्ते की गुणवत्ता उत्तम होगी। स्वच्छता एवं सुचिता का विशेष ध्यान रखा जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील